द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2371/2013

श्री अनिल त्रिपाठी, — अपीलार्थी
ब्राहम्णपारा, छुईखदान,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री डी0आर0 नाग,
जनसूचना अधिकारी/उपप्रबंधक संचालक— उत्तरवादी कं 01
कार्यालय—तेन्दुपत्ता शाखा, खैरागढ़,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

श्री एस0पी0 पैकरा,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,/डीएफओ, — उत्तरवादी कं 02
कार्यालय—प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 19/09/2014)

प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री अनिल त्रिपाठी सूचना के बावजूद अनुपस्थित। उत्तरवादी श्री डी0आर0 नाग, प्रबंध संचालक, जिला यूनियन खैरागढ़ उपस्थित। उन्हें सुना गया। दिनांक 22.5.14 को आर्डरशीट में उत्तरवादी को निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी को स्पष्ट दिखाई देती हुई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये। इसके पालन में उत्तरवादी ने अपीलार्थी को संबोंधित पत्र क्रमांक 1077, दिनांक 18.7.14 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसके साथ स्पष्ट जानकारी संलग्न कर प्रेषित की गई है।

श्री गजानन वर्मा, लेखापाल उपस्थित। उन्होंने विलंब का कारण बताते हुए जवाब प्रस्तुत किया है। जिसका संक्षेप यह है कि वांछित जानकारी कार्यालय में संधारित नहीं की जाती बल्कि विभिन्न वन क्षेत्रपालों के पास उपलब्ध होती है। इसलिए दो वन क्षेत्रपालों से जानकारी एकत्रित करने में समय लगा। जवाब संतोषप्रद पाया जाता है इसलिए आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती।

प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि जो जानकारी मांगी गई थी वह दो वन परिक्षेत्रों के कार्यालय से संबंधित थी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के आवेदन के संबंध में यह प्रावधान है कि यदि वह किसी अन्य जनसूचना अधिकारी से संबंधित है तो उसे अंतरित किया जायेगा। परंतु यह अंतरण केवल एक ही जनसूचना अधिकारी को संभव है। यदि एक से अधिक जनसूचना अधिकारियों का संबंध है तो आवेदन उन सभी को अंतरण किये जाने का कोई प्रावधान नही है। अंतरण के संबंध में अधिनियम की धारा 6(3) में प्रावधान है, जो निम्नानुसार है :—

6(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information, -

***(i)* which is held by another public authority; or**

***(ii)* the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,**

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:

उपरोक्त उपधारा में शब्द "to other public authority" का उपयोग किया गया है। यहां public authority जिसे आवेदन या उसका अंश अंतरित किया जाना है व एकवचन है अर्थात् अंतरण किसी एक public authority को ही संभव है। यदि ऐसी जानकारी मांगी जाती है जो कई जनसूचना अधिकारियों से संबंधित हो तो सभी को आवेदन अंतरित करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रं0 10/2/2008–आई0आर0 दिनांक 12 जून 2008 द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं उसके मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

3(iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोकप्राधिकरणों को अलग अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है बल्कि सूचना के अलग अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दे। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हों एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जायेगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अंतर्गत आवेदन को अतिरिक्त किये जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है ना कि बहुवचन में।

इस प्रावधान के पठन से स्पष्ट है कि केवल एक ही जनसूचना अधिकारी को अंतरण संभव है क्योंकि इसमें एकवचन का हवाला दिया है। इस प्रकरण में जो सूचना/जानकारी मांगी गई थी वह दो वन परिक्षेत्र कार्यालयों से संबंधित थी जिनके स्वंय के अलग अलग दो जनसूचना अधिकारी थे अतः आवेदन का अंतरण नियमानुसार दोनों को नियमानुसार संभव नहीं था।

अधिनियम के अंतर्गत जो सूचना/जानकारी रिकार्ड में उपलब्ध है वही प्रदान किया जाना अपेक्षित है उसे एकत्रित कर या संकलित कर देना अपेक्षित है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है। उसे एकत्रित COLLECT कर या COLLATE कर देना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त न्याय दृष्टांत से स्पष्ट है कि जानकारी एकत्रित कर देने का प्रावधान नहीं है फिर भी उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने जानकारी एकत्रित कर पहले 11.3.14 को अपीलार्थी को दी थी जिसमें कुछ पृष्ठ अस्पष्ट थे और बाद में उन्होंने पुनः पत्र दिनांक 18.7.14 के माध्यम से उपलब्ध कराई। इस प्रकार जानकारी एकत्रित कर देना अपेक्षित न होते हुए भी उत्तरवादी ने यह जानकारी एकत्रित कर उपलब्ध कराई। इसलिए उनकी कार्यवाही सद्भाविक पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपील यह पाते हुए कि जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है एवं अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती, निराकृत की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त